



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 274 राँची, शुक्रवार, 29 जयेष्ठ, 1942 (श०)  
19 जून, 2020 (ई०)

---

#### उद्योग विभाग

-----

संकल्प

9 जून, 2020

संख्या--01/स्था०(राज०)-11-01/2015(खण्ड) 442-- श्री दिलीप कुमार शर्मा, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद के द्वारा अपने पूर्व पदस्थापन जिला उद्योग केन्द्र, देवघर के दौरान श्री अवधेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर को बिना प्राधिकार पत्र के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतान किये जाने को योजना-सह, वित्त विभाग, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अप्रासंगिक माना गया है ।

श्री शर्मा का यह कृत्य झारखण्ड सरकार सेवा नियमावली-1976 के नियम-3 का उल्लंघन का दोषी मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2016 के भाग-V की कंडिका-14 में निहित प्रावधान के आलोक में लघु दण्ड के रूप में “निन्दन” की सजा अधिरोपित किया जाता है ।

2- प्रस्ताव में माननीय विभागीय(मुख्य)मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

**आदेश:** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु तथा इसकी प्रति श्री दिलीप कुमार शर्मा, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार भगत,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----